


- 8 प्रमुख निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी/मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 9- महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
- 10- समन्वयक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, सचिवालय देहरादून।
- 11- प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)
अनु सचिव।

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- आयुक्त,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 05 अगस्त, 2018

विषय:- पर्वतीय क्षेत्रों के लाभार्थियों का मिट्टी तेल आवंटन प्रति कार्ड बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-916/XIX-1/18-मि0ते0आवं0-112/2002 दिनांक-11.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-07 एवं 10 पर पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थियों को प्रति कार्ड 02 लीटर मिट्टी तेल आवंटन किये जाने सम्बन्धी प्राविधान किया गया है।

2- आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-1050/आ0खा0/57/2018, दिनांक-01.08.2018 द्वारा यह प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है कि आपदा एवं पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रति कार्ड मिट्टी के तेल की अनुमन्यता 02 लीटर से बढ़ाकर 05 लीटर कर दी जाय।

3- उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की अनुमन्यता प्रति कार्ड 02 लीटर से बढ़ाकर 05 लीटर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4- शासनादेश संख्या-916/XIX-1/18-मि0ते0आवं0-112/2002 दिनांक-11.07.2018 में उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष प्राविधान एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1025(1)/XIX-1/18-मि0ते0आवं0-112/2002 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- उप सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 4- राज्य स्तरीय समन्वयक उत्तराखण्ड, आई0ओ0सी0 देहरादून/बरेली।
- 5- क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच0पी0सी0एल0, 1 नेशविला रोड, देहरादून।
- 6- क्षेत्रीय प्रबन्धक, बी0पी0सी0एल0, प्रादेशिक कार्यालय, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 एरिया, लन्डौरा, रुड़की, जिला-हरिद्वार।
- 7- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।